**उत्तराखंड के उच्च न्यायालय में**

**नैनीताल में**

**माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री राघवेन्द्र सिंह चौहान**

**और**

**माननीय श्री न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा**

**2014 की आपराधिक अपील संख्या 221**

**बीच में:**

**सुबोध कुमार शर्मा...अपीलकर्ता**

**और**

**उत्तराखंड राज्य.....प्रतिवादी**

**के लिए परामर्शदाता**

**अपीलकर्ता**

**: श्री पी0सी0 पेटशाली और सुश्री गौरा**

**देवी देव**

**राज्य के लिए वकील**

**उत्तराखंड के**

**: श्री जे0एस0 विर्कए विद्वान डिप्टी महाधिवक्ता**

**के साथ**

**श्री प्रदीप कुमार जोशी एवं श्री**

**रोहित ध्यानी, सीखा संक्षिप्त**

**राज्य के लिए धारक**

**आरक्षित तिथि 03.08.2021**

**वितरित 23.11.2021**

**न्यायालय ने निम्नलिखित**

**निर्णय –माननीय श्री न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा के अनुसार**

प्रस्तुत अपील अपीलकर्ता द्वारा विद्वान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पौडी गढवाल सत्र परीक्षण संख्या–28/2009 ''स्टेट बनाम् सुबोध कुमार शर्मा में पारित निर्णय दिनांकित 02.07. 2014 व 04.07.2014 के विरूद्ध योजित की है, जिसमें अपीलकर्ता को अन्तर्गत धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता (संक्षेप में भा0दं0सं0) दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व 25,000/–रूपये के जुर्माने से दण्ड़ित किया गया था, जुर्माना अदा न करने के एवज में दोषसिद्ध को एक साल का अतिरिक्त कारावास से दण्ड़ित किया गया था। अपीलकर्ता को धारा 201 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत दोषी पाते हुए तीन साल का कठोर कारावास व रूपये 1,000/–रूपये के जुर्माने से दण्ड़ित किया गया था व जुर्मान अदा न करने की दशा में तीन महीने का अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया गया था। दोनों ही सजायें साथ–साथ चलेगी।

2. संक्षेप में अभियोजन के कथनों व प्रस्तुत साक्ष्य के पुनः परिशीलन से यह दर्शित होता है कि अपीलकर्ता मृतक श्रीमती मीतू शर्मा का पति था। मृतक का विवाह अपीलकर्ता से मृत्यु के 10 से 11 साल पूर्व हुआ था। दोनों के दो बच्चे है। घटना के समय अपीलकर्ता मृतक के साथ मृतक के मायके में रह रहा था। तहरीरकर्ता व पंचनामा (प्रदर्श क–2) श्री महेश शर्मा (अभियोजन साक्षी–1) द्वारा तहरीर (प्रदर्श क–10) द्वारा अपीलकर्ता के विरूद्ध एक लिखित तहरीर प्रदर्श क–1 दर्ज करायी जिसमें यह कथन है कि उनकी भतीजी श्रीमती मीतू शर्मा अपने पति सुबोध कुमार शर्मा के साथ दिनांक 18.05.2009 को

नीलकंठ गयी थी। उस दिन शाम करीब 3:00 बजे सुबोध शर्मा घर वापस अकेले आया। मृतक की माता श्रीमती उषा शर्मा (अभियोजन साक्षी–11), मृतक की बहन दिव्या शर्मा (अभियोजन साक्षी–10) ने सुबोध शर्मा से पूछा कि मीतू कहा है। सुबोध शर्मा द्वारा यह बताया गया कि मीतू नीलकण्ड के रास्ते में कही खो गयी और बहुत ढूढे जाने पर नहीं मिली। जब सुबोध शर्मा से फिर से पूछा गया तो उसने बताया कि मीतू रास्ते में ही कहीं उतर गयी। सुबोध शर्मा द्वारा बार–बार अपने तथ्यों को बदला जा रहा था। अगले दिन दिनांक 19.05.2009 को सुबोध शर्मा ने मृतक श्रीमती मीतू की गुमशुदगी रिपोर्ट प्रदर्श क–8 थाना ऋषिकेश में दर्ज करायी। तहरीरकर्ता द्वारा अपनी तहरीर में यह भी बताया है कि दिनांक 20.05.2009 प्रदर्श क–1 की सुबोध ने स्वंय किसी को यह बताया था कि उसने मीतू को अपने रास्ते से हटा दिया है व उसका गला घोंटकर उसको मार दिया है और उसका शरीर नीलकण्ड में कहीं गढ्ढे में फेंक दिया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क–10 दिनांक 20.05.2009 को रात्रि 9:30 बजे अन्तर्गत धारा 302 व 201 भा0दं0सं0 थाना लक्ष्मणझूला ऋषिकेश में दर्ज हुयी।

3. प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क–10 के दर्ज होने से पूर्व अपीलकर्ता द्वारा मृतक की गुमशुदगी रिपोर्ट प्रदर्श क–8 दिनांक 19.05.2009 को इस कथन के साथ दर्ज करायी थी कि उनकी पत्नी घर से मार्डन स्कूल जाटव बस्ती की ओर दिनांक 18.05.2009 को समय सुबह 9:30 बजे निकली थी।

4. विवेचना दौरान अपीलकर्ता की सहायता से मृतक का शव दिनांक 20.05.2009 को ग्राम जौंक स्थित नीलकण्ड मार्ग से बरामद हुआ। अपीलकर्ता को गिरफ्तार किया गया। अपीलकर्ता के ही सहायता से एक रस्सी (प्रदर्श–1) दिनांक 21.05.2009 को बरामद हुआ, जिससे मृतक का कथित गला घोटा गया था। रस्सी की फर्द बरामदगी तैयार की गयी (प्रदर्श–3)। विवेचक डी0एस0 पवांर (अभियोजन साक्षी–13) द्वारा एक इण्डिका कार जिसका शीशा दो जगह से टूटा हुआ था, जब्त किया गया व फर्द बरामदगी (प्रदर्श क–4) तैयार किया गया। विवेचक द्वारा खून आलूदा मिट्टी व एक जोड़ी हील चप्पल (प्रदर्श–3) शव के पास से बरामद की। पंचनामा व शव विच्छेदन दिनांक 21.05.2009 को किया गया। बरामद वस्तुओं को परीक्षण हेतु भेजा गया। धारा 161 दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 के अन्तर्गत बयान अंकित किये गये व विवेचना पूर्ण होने के बाद आरोप पत्र (प्रदर्श क–19) दाखिल की गयी।

5. उक्त मामला सत्र न्यायालय को सुपुर्द हुआ।

6. आरोप अन्तर्गत धारा 302 व 201 भा0दं0सं0 विरचित किये गये। अपीलकर्ता द्वारा आरोपों को अस्वीकार करते हुए परीक्षण की मॉग की। विद्वान विचारणीय न्यायालय द्वारा 13 अभियोजन साक्षियों का साक्ष्य अंकित किया।

7. अपीलकर्ता द्वारा अपने कथन अन्तर्गत धारा 313 दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 में स्वयं को निर्दोष बताते हुए उक्त मामले में झूंठा फॅसाये जाने का कथन किया।

8. विद्वान विचारणीय न्यायालय द्वारा उसके समक्ष साक्ष्य का परिशीलन करते हुए यह

पाया कि अभियोजन अपना पक्ष अपीलकर्ता के विरूद्ध धारा 302, 201 भा0दं0सं0 साबित करने में सफल रहा है।

9. उपरोक्त विद्वान विचारणीय न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्ध व सजा के निर्णय व आदेश से पीड़ित हो, अपीलकर्ता द्वारा यह अपील दायर की है।

10. अपीलकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री पी0सी0 पेटशाली व श्रीमती गौरा देवी देव व राज्य की ओर से डेप्यूटी एडवोकेट जनरल श्री जे0एस0 विक्र के साथ ब्रीफ होल्डर श्री प्रदीप कुमार जोशी व रोहित ध्यानी को सुना।

11. अपीलकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री पी0सी0 पेटशाली के द्वारा कथन किये गये है कि उक्त घटना में कोई चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है व घटनाक्रम टूटा हुआ है व पूर्ण नहीं है, जिससे उक्त घटना से अपीलकर्ता को जोड़ा जा सके। मृतक के शव व रस्सी की अभियोजन कथनों के अनुसार अपीलकर्ता के निशानदेही पर बरामदगी अत्यन्त सन्देहपूर्ण है; अभियोजन के कथन अत्यन्त असम्भव है व अभियोजन साक्षियों के कथनों में भी विरोधाभाष है। अपीलकर्ता व मृतक का विवाह वर्ष 2000 में हुआ था व तब से मृतक या मृतक के घरवालों द्वारा कभी कोई शिकायत अपीलकर्ता के विरूद्ध नहीं की गयी व अपीलकर्ता व मृतक काफी खुशाल जीवन जी रहे थे, परन्तु परोक्ष अभिप्राय से अपीलकर्ता के विरूद्ध अभियोजन द्वारा झूंठा मामला बनाया गया है व अभियोजन अपीलकर्ता के उक्त घटना के कारित करने के मकसद को इंगित करने में असफल रहा है। अपीलकर्ता द्वारा स्वयं ही अपनी पत्नी की गुमशुदगी की प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श क–10) दर्ज करायी थी।

12. इसके खण्डन में डेप्यूटी एडवोकेट जनरल श्री जे0एस0 विक्र द्वारा विवादित निर्णय के समर्थन में कथन किये है व यह बताया है कि अभियोजन अपना मामला सन्देह से परे सिद्ध करने में सफल रहा है।

13. हमारे द्वारा अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का परिशीलन किया।

14. उक्त मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर निर्भर करता है। किसी ने अपीलकर्ता को मृतक के साथ कोई शारीरिक उत्पीड़न करते हुए नहीं देखा था।

15. यह विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामलों में, अभियोजन के द्वारा जिन परिस्थितियों पर निर्भर किया जा रहा है, युक्तियुक्त व विश्वसनीय हो व सारी परिस्थितियॉ एक पूर्ण घटनाक्रम बनाती हो। घटनाक्रम इस प्रकार साबित होना चाहिये कि व युक्तियुक्त रूप से अभियुक्त पर लगाये गये आरोपो को सिद्ध कर सके।

16. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा परिस्थितिजन्य साक्ष्य से सम्बन्धित मामलों में साक्ष्य के मापदण्ड शरद बिरधी चन्द्र शारदा बनाम् स्टेट ऑफ महाराष्ट्र (1984) 4 एस0सी0सी0 116, निम्न प्रकार दिये है।

(i) जिन परिस्थितियों को दोषसिद्ध का आधार पर बनाया जाता है वे पूर्ण रूप से स्थापित होनी चाहिये।

(ii) जिन तथ्यों के आधार पर अभियुक्त को दोषी माना जा रहा है वे केवल अभियुक्त की दोषसिद्ध से सम्बन्धित हो व इसके विपरीत न इंगित करती हो।

(iii) परिस्थितियॉ पूर्णनात्मक प्रकृति व प्रवृति की होनी चाहिये।

(iv) वे केवल तथ्यों को सिद्ध करने की ओर ही इंगित हो।

(V) परिस्थिति साक्ष्य इस प्रकार होना चाहिये कि वे पूर्ण घटनाक्रम अभियुक्त की दोषसिद्ध से जोड़ती हो व उसमें अभियुक्त की दोषमुक्ति की ओर जाने की सम्भावना न हो।

17. उपरोक्त से यह सुस्थापित है कि हमें केवल यह परीक्षित करना है कि अपीलकर्ता दोषी है या नहीं।

18. मृतक श्रीमती मीतू शर्मा अ0साक्षी सं0 1 महेश शर्मा व अ0 साक्षी सं0 2, शिव कुमार शर्मा की भतीजी थी। महेश शर्मा मामले के तहरीरकर्ता है व उनके द्वारा लिखित तहरीर दी गयी है। उपरोक्त साक्षियों द्वारा यह बताया गया कि अभियुक्त सुबोध कुमार शर्मा अपने बच्चों के साथ अपने ससुराल में निवास करता था। अ0साक्षी सं0 1 महेश शर्मा ने कथन किया है कि मृतक की माता, बहन दिव्या शर्मा व अभियुक्त के पिता राजेन्द्र एक ही घर में निवास करते थे व उक्त साक्षियों का घर मृतक के घर से एक मील की दूरी पर है। अ0 साक्षी महेश शर्मा ने कथन किया है कि मृतक ने उन्हें बताया था कि अभियुक्त उसके साथ मारपीट करता है व मृतक की माता द्वारा उक्त साक्षी को यह भी बताया गया था कि अभियुक्त मृतक को सुबह 9:00 बजे नीलकण्ड ले गया परन्तु वापस अकेले आया। सुबोध शर्मा द्वारा यह बताया गया कि मीतू नीलकण्ड के रास्ते में कही खो गयी और बहुत ढूढे जाने पर नहीं मिली। जब सुबोध शर्मा से फिर से पूछा गया तो उसने बताया कि मीतू रास्ते में ही कहीं उतर गयी। सुबोध शर्मा द्वारा बार–बार अपने तथ्यों को बदला जा रहा था। उक्त साक्षी द्वारा भी अभियुक्त से मृतक के बारे में पूछा गया था जिसके उत्तर में अभियुक्त ने यह बताया कि मीतू नीलकण्ठ में कही खो गयी है। अ0साक्षी सं0 2 शिव कुमार शर्मा द्वारा कथन किये है कि दोपहर समय 3:30 बजे उनको अपने भाई महेश शर्मा का फोन आया, जिन्होंने बताया कि सुबोध शर्मा मीतू को नीलकण्ठ ले गया परन्तु वापस अकेले ही आया है। उनके द्वारा यह भी बताया गया है कि उन्होंने अभियुक्त से मीतू के बारे में पूछा तो अभियुक्त ने कहा कि वह स्वयं कहीं रास्ते में उतर गयी। उपरोक्त साक्षियों के अनुसार अभियुक्त अपने कथन बार–बार बदल रहा था। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि दिनांक 20 को अभियुक्त पुलिस स्टेशन ऋषीकेश जा रहा था। वहॉ थाने के बाहर उन्होंने देखा कि अभियुक्त किसी से बात कर रहा था व बता रहा था कि उसने मीतू को रास्ते से हटा दिया है व उसका गला घोंटकर उसका शव नीलकण्ड के पास गढ्ढे में फेंक दिया है। उक्त साक्षी द्वारा यह भी कथन किया गया है कि तहरीर दर्ज कराने के बाद एस0एच0ओ0 थाना लक्ष्मणझूला उनको नीलकण्ड बाईपास ले गया जहॉ एस0एच0ओ0 को एक कॉल आया और उस कॉल को सुनने के बाद एस0एच0ओ0 न बताया कि मीतू का शव सुबोध की निशानदेही पर बाईपास रोड के पास बरामद हुआ है। एस0एच0ओ0 लक्ष्मणझूला को यह सूचना एस0एच0ओ0 थाना ऋषिकेश द्वारा फोन से

प्राप्त हुई। एस0एच0ओ0 लक्ष्मणझूला उनको घटनास्थल पर ले गया जहॉ मीतू का शव ऋषिकेश पुलिस द्वारा गढ्ढे से निकाला व शव की पहचान उपरोक्त साक्षियों द्वारा 10:30 से 10:45 रात्रि की गयी।

19. अभियोजन साक्षी सं0 1 महेश शर्मा पंचनामें के हस्ताक्षरकर्ता है (प्रदर्श क–2) उनके द्वारा यह भी बताया गया है कि पंचो की राय में मृतक की मृत्यु गला घोटने से हुई है।

20. साक्षी सं0 1 व साक्षी सं0 2 के अनुसार रस्सी (प्रदर्श–1) का इस्तेमाल घटना कारित करने हुआ व अभियुक्त की निशानदेही पर दिनांक 21.05.2009 को घटनास्थल से 500 मीटर की दूरी पर बरामद हुआ। जिसकी फर्द बरामदगी (प्रदर्श क–3) तैयार की गयी।

21. साक्षी सं0 1 व 2 इण्डिका गाड़ी की फर्द बरामदगी प्रदर्श क–4 व चप्पलों की फर्द बरामदगी प्रदर्श क–5 व प्रदर्श–3 के हस्ताक्षरकर्ता भी है। उपरोक्त के कथनानुसार उपरोक्त गाडी अद्वेतानन्द मार्ग ऋषिकेश से व प्रदर्श–3 मृतक की चप्पले घटनास्थल से बरामद हुई। उपरोक्त साक्षी द्वारा यह भी कथन किया है कि उपरोक्त इण्डिका गाडी को जब्त करते समय उसके शीशे दो जगह से टूटे हुए थे। साक्षी सं0 2 द्वारा यह भी कथन किया है कि उपरोक्त गाडी के मालिक श्री हनी है व अभियुक्त द्वारा मृतक को नीलकण्ठ उसी गाडी में ले जाया गया था।

22. साक्षी सं0 12 श्रीमती अंशू चौधरी तत्समय इन्सपेक्टर इंचार्ज पुलिस स्टेशन ऋषिकेष के द्वारा कथन किया है कि अभियुक्त द्वारा मृतक की गुमशुदगी रिपोर्ट थाना ऋषिकेष में लिखवायी गयी थी। जॉच करते समय उन्होंने अपीलकर्ता से दिनांक 20.05. 2009 को पूछताछ की थी जिसमें अपीलकर्ता अपने कथन बार–बार बदल रहा था, जिस कारण अपीलकर्ता संदिग्ध पाया गया। उक्त साक्षी द्वारा यह भी बताया गया कि जब अपीलकर्ता से उक्त घटना के बारे में पूछा गया तो अभियुक्त ने बताया कि उसकी पत्नी उससे हमेशा लडाई करती थी, जिस कारण अभियुक्त ने गुस्से में आकर मृतक का गला घोट दिया और व शव बरामद करा सकता है। उसके बाद अभियुक्त द्वारा घटना का पूर्ण विवरण देते हुए अभियुक्त द्वारा बताया गया कि दिनांक 18 को वह उत्तरकाशी से लौटा व अपनी पत्नी को गाडी से नीलकण्ठ ले गया जहॉ उन्होंने चाय के खोके पर नीलकण्ड बाईपास के पास चाय पी और वहीं उनकी लडाई हुई, क्योंकि मृतक को यह शक था कि अभियुक्त का किसी अन्य के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है। वे लोग नीलकण्ठ न जाकर वापस आ रहे थे व कुछ ही दूरी के बाद अभियुक्त ने गाडी रोकी और पीछे की सीट पर बैठ गया और उसकी पत्नी आगे की सीट में बैठी थी। अभियुक्त ने सीट के नीचे से रस्सी निकाली और अपनी पत्नी का गला घोट दिया। वह गाडी आगे ले गया और वहॉ गढढे में शव व रस्सी गिरा दी। उक्त साक्षी द्वारा यह भी बताया गया कि अपीलकर्ता ने यह भी बताया कि जब वह अपनी पत्नी का गला घोंट रहा था उसी समय गाडी का शीशा भी टूटा था। उसने घर आकर सब को यह बताया कि उसकी पत्नी नीलकण्ठ में कहीं खो गयी है वह उसने गाडी धुलवाकर अपने दोस्त हनी को दे दी। अपीलकर्ता पर कोई शक

न हो इसलिए उसने अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करायी।

23. अभियोजन साक्षी सं0 12 द्वारा यह भी कथन किये गये है कि अपीलकर्ता पुलिस बल के साथ सरकारी वाहन में अभियुक्त द्वारा बताया गया घटनास्थल पर पहुंचे जहॉ मोड के 8–10 फिट नीचे एक शव मिला जिसे टार्च की रोशनी से देखा गया व नक्शानजरी प्रदर्श क–18 विवेचक डी0एस0 पवांर साक्षी सं0 13 द्वारा बनाया गया।

24. साक्षी सं0 12 द्वारा यह भी कथन किये गये है कि चूंकि जिस स्थान से शव बरामद हुआ था वह लक्ष्मणझूला के क्षेत्राधिकार में आता है इसलिए एस0एओ0 लक्ष्मणझूला को फोन के माध्यम से सूचित किया गया और तब एस0एओ0 लक्ष्मणझूला द्वारा उनको बताया गया कि सुबोध के खिलाफ उनके थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गयी है व वे मीतू को तलाश कर रहे है। कुछ देर बाद एस0एओ0 लक्ष्मणझूला तहरीरकर्ता महेश शर्मा के साथ घटनास्थल पर पहुंचे वहॉ मृतक के परिवार के अन्य लोग भी उपस्थित थे, जिन्होंने शव को पहचाना। उक्त साक्षी द्वारा यह भी बताया गया कि तभी उन्होंने सुबोध शर्मा एस0एओ0 लक्ष्मणझूला की सुपुर्दगी में दिया व इस पूरे घटनाक्रम के बाद पुलिस बल वापस थाने 2:30 पी0एम0 पर पहुंचे और इन सब का उल्लेख जी0डी0 नं0 4 प्रदर्श क–6 में है।

25. साक्षी सं0 3 हे0 कां0 लखन सिंह द्वारा जी0डी0 प्रदर्श क–6 को साबित किया है।

26. साक्षी सं0 4 डॉ0 मनोज कुमार वर्मा द्वारा शव विच्छेदन रिपोर्ट दिनांक 21.05.2009 को तैयार की गयी व प्रदर्श क–7 को साबित किया, जिनके द्वारा यह बताया गया कि एक नीला निशान 2.3 से0मी0 चौड़ा व 28 से0मी0 लम्बा मृतक की गर्दन में था व मृतक की मृत्यु का कारण गला दबाने के कारण घुटन था। उनके द्वारा यह भी कथन किया कि मृतक की मृत्यु दिनांक 18.05.2009 को समय 9:00 ए0एम0 से 3:00 पी0एम0 के मध्य होना सम्भव है। अगर किसी ने मृतक का गला तेज से रस्सी से दबाया हो। यह इंगित किया जाता है कि इस तथ्य में कोई सन्देह नहीं है कि मृतक की मृत्यु हत्या की प्रकृति की है व उपरोक्त डॉ0 का साक्ष्य विश्वसनीय है।

27. गुमशुदगी रिपोर्ट प्रदर्श क–8 हेड कां0 बुद्धि सिंह पवांर साक्षी सं0 5 द्वारा दर्ज की गयी थी।

28. साक्षी सं0 6 एच0सी0पी0 योगेन्द्र कुमार चिक एफ0आई0आर0 प्रदर्श क–10 के लेखक है।

29. मृतक साक्षी सं0 7 अनिल शर्मा की भतीजी थी, जिनके द्वारा कथन किये है कि उनको मृतक की माता का फोन दिनांक 18.05.2009 को आया था, जिन्होने बताया कि सुबोध सुबह 9:00 बजे मीतू को नीलकण्ड ले गया है, परन्तु वापस अकेले आया है। उक्त साक्षी ने यह भी बताया है कि उन्होंने स्वयं सुबोध से मीतू के बारे में पूछा जिसके उत्तर में सुबोध द्वारा यह बताया गया कि मीतू खो गयी ह और फिर कहा की मीतू गाडी से उतर गयी और सुबोध अपने कथन बार–बार बदल रहा था। शव बरामद होने की सूचना प्राप्त होने पर उक्त साक्षी अपने भाई के साथ घटनास्थल पर पहुंचे जहॉ पूर्व से थाना

प्रभारी ऋषिकेश व सुबोध उपस्थित थे। उक्त साक्षी द्वारा शव की पहचान की गयी व वे पंचनामें प्रदर्श क–2 के हस्ताक्षरकर्ता है।

30. साक्षी सं0 8 कपिल देव शर्मा मृतक के पडोसी है व उनके द्वारा कथन किया है कि पडोसी होने के नाते मीतू की माता ने उनको फोन कर बताया था कि सुबोध मीतू को सुबह 9:00 बजे नीलकण्ठ ले गया लेकिन वापस अकेला आया। उनके द्वारा, यह भी कथन किये गये है कि मीतू के घर वालो ने सुबोध से मीतू के बारे में पूछा जिस पर सुबोध ने अपना उत्तर बार–बार बदल रहा था। साक्षी सं0 8 कपिल देव शर्मा भी शव बरामदगी स्थल पर गये थे जहॉ थाना प्रभारी ऋषिकेश उपस्थित थे।

31. विवेचक डी0एस0 पवांर साक्षी सं0 13 के अनुसार साक्षी सं0 12 अंशू चौधरी द्वारा फोन पर दिनांक 20.05.2009 को रात्रि 10:30 बजे फोन पर सूचना प्राप्त होने पर वे व सब–इन्सपेक्टर नरेन्द्र सिंह साक्षी सं0 9 व अन्य पुलिस कर्मी शव बरामदगी स्थल पर पहुंचे जहॉ श्रीमती अंशू चौधरी द्वारा बताया कि उक्त बरामदगी अभियुक्त की निशानदेही पर हुई है।

32. साक्षी सं0 9 नरेन्द्र सिंह द्वारा श्रीमती अंशू चौधरी द्वारा किये गये कथनों का समर्थन किया है व वे शव बरामदगी स्थल पर भी उपस्थित थे। विवेचक साक्षी सं0 13 व साक्षी सं0 9 के अनुसार अपीलकर्ता को शव बरामदगी स्थल पर ही गिरफ्तार कर लिया गया जहॉ अपीलकर्ता ने अपना जुर्म स्वीकार किया व रस्सी भी बरामद करवाई जिससे वह अपनी पत्नी का गला घोंटा था। उपरोक्त के द्वारा यह भी बताया गया कि अभियुक्त की निशानदेही पर नीलकण्ठ की ओर जाने वाले चौराहे से बरामद हुई थी। फर्द बरामदगी प्रदर्श क–3 नरेन्द्र सिंह द्वारा तैयार की गयी थी व इण्डिका कार (यू0ए0–08बी–4414) जो घटना कारित करते हुए इस्तेमाल की गयी थी व ऋषिकेश से दिनांक 23.05.2009 को बरामद हुई थी कि फर्द बरामदगी प्रदर्श क–4, एक जोड़ी हील चप्पल प्रदर्श क–3 जो मृतक के पास से बरामद हुई व उक्त चप्पलों का मैमो प्रदर्श क–5 नरेन्द्र सिंह द्वारा ही बनाया गया था।

33. साक्षी सं0 10 दिव्या शर्मा मृतक की बहन है, के द्वारा कथन किये है कि दिनांक 18.05.2009 को वे उनकी माता व अभियुक्त व बहन श्रीमती मीतू व उनके बच्चे व अभियुक्त के पिता श्रीमती मीतू के घर पर ही रहते थे। उक्त साक्षी के द्वारा अभियोजन के कथनों का समर्थन नही किया गया अभियोजन द्वारा उन्हें पक्षद्रोही बताया गया।

34. साक्षी सं0 11 श्रीमती उषा शर्मा मृतक की माता है, जिनके द्वारा कथन किया कि अपीलकर्ता उनके साथ एक ही घर पर रहता था, जहॉ वह अपनी पत्नी को पीटता व डराता था व दिनांक 18.05.2009 को सुबह 9:00 बजे सुबोध शर्मा को मीतू को गाडी में नीलकण्ठ ले गया व 3:00 बजे अकेला वापस आया व पूछे जाने पर कभी बताया कि मीतू रास्ते में उतर गयी है फिर बोला वह खो गयी है। अपनी प्रतिपरीक्षा में उक्त साक्षी द्वारा कथन किये है कि अभियुक्त बार–बार अपने कथन बदल रहा था। जिसकी सूचना उन्होंने महेश शर्मा को दी थी। उनके द्वारा यह भी बताया कि उनकी दूसरी बेटी दिव्या शर्मा ने

अपने पति गौरव को तलाक सुबोध के कहने पर दिया व उनकी दूसरी बेटी दिव्या शर्मा सुबोध शर्मा के साथ रह रही है। उक्त साक्षी अपने कथनों के साथ एक समान रही है। पी0डब्लू–11 का साक्ष्य अन्य साक्षियों के साथ आंकलन कर सही व विश्वसनीय पाया जाता है। अतः पूर्ण रूप से स्वीकार होने योग्य है।

35. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री पी0सी0 पेटशाली द्वारा कथन किये गये है क्योंकि अभियोजन साक्षी सं0 10 दिव्या शर्मा जो कि मृतक की बहन है, ने अभियोजन पक्ष का समर्थन नहीं किया है जिस कारण घटनाक्रम टूट जाता है। अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का यह कथन स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। यह विधि का सुस्थापित सिद्वान्त है कि यदि कोई साक्षी पक्षद्रोही घोषित कर दिया जाता है तब भी उसके द्वारा दिया गया साक्ष्य पूर्ण रूप से अनदेखा नहीं किया जा सकता। यदि पक्षद्रोही साक्षी के साक्ष्य का कोई भाग सत्य पाया जाता है तो न्यायालय उस भाग पर विश्वास कर सकता है। राजेन्द्र बनाम् स्टेट ऑफ यू0पी0 (2009) 13 एस0सी0सी0 48 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि सिर्फ इसलिए किसी साक्षी का साक्ष्य पूर्ण रूप से अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता। यदि वे अपने कथनों से कोई भिन्न कथन करता है। गोविन्द अप्पा बनाम् स्टेट ऑफ कर्नाटक (2010) 6 एस0सी0सी0 533 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि पक्षद्रोही साक्षी का साक्ष्य उस हद तक स्वीकार किया जा सकता है, जहॉ तक वह अभियोजन कथनों का समर्थन करता है।

36. साक्षी सं0 10 दिव्या शर्मा ने बताया है कि दिनांक 18.05.2009 को वह उनकी माता , उनके जीजा सुबोध शर्मा व बहन मीतू उनके दो बच्चे व सुबोध के पिता एक ही घर में रह रहे थे। अपीलकर्ता द्वारा उक्त साक्षी से प्रतिपरीक्षा नहीं की गयी।

37. साक्षी सं0 1 महेश शर्मा, साक्षी सं0 2 शिव कुमार शर्मा, साक्षी सं0 11 उषा शर्मा का साक्ष्य साक्षी स0 10 दिव्या शर्मा के घटना के समय अभियुक्त का मृतक के घर वालों के साथ रहने का कथन की हद तक पुष्ट होता है।

38. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री पी0सी0 पेटशाली द्वारा कथन किये गये है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श क–10 के दर्ज होने से पहले गुमशुदगी रिपोर्ट प्रदर्श क–8 दिनांक 19.05.2009 को अभियुक्त द्वारा थाने में इस आशय की दी थी कि दिनांक 18.05. 2009 को सुबह 9:30 बजे मृतक अपने घर से मार्डन स्कूल जाकर बस्ती की ओर निकली है व इससे यह दर्शित होता है कि अपीलकर्ता को उक्त मामले में झूॅठा फंसाया गया है।

39. यह तथ्य पूर्ण रूप से साबित हो चुका है कि अपीलकर्ता घटना के समय उनके घर मे उनके परिवार वालों के साथ रहता था। उनके अनुसार मृतक मार्डन स्कूल जाटव बस्ती की ओर गयी थी। परन्तु अपीलकर्ता द्वारा मृतक के घर के सदस्यों को यह तथ्य नहीं बताया व न ही मृतक के वापस न लौटने के बारे में बताया। अपीलकर्ता द्वारा अभियोजन को ऐसा कोई सुझाव व अपने कथन अन्तर्गत धारा 313 दं0प्र0सं0 में कहीं यह कथन नहीं किये कि मृतक मार्डन स्कूल जाटव बस्ती की ओर से गयी थी और वहां से वापस नहीं

लौटी। उपरोक्त से यह स्पष्ट होता है कि अपीलकर्ता द्वारा दर्ज करायी गयी मृतक की गुमशुदगी रिपोर्ट केवल अपने आप को उक्त मामले से अपने आप को बचाने के आशय से दर्ज करायी थी।

40. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री पी0सी0 पेटशाली द्वारा यह भी कथन किये गये है कि यह विधि का सुस्थापित सिद्वान्त है कि केवल आखिरी बार देखी हुई परिस्थतिजन्य साक्ष्य का घटनाक्रम पूर्ण नहीं माना जायेगा।

41. यह सत्य है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 106 अभियोजन को अभियुक्त के विरूद्ध मामला सन्देह से परे साबित करने के भार से उन्मोचित करने हेतु नहीं है, परन्तु उक्त वहॉ प्रभावी होगी जहॉ अभियोजन अपना कथन इस हद तक सिद्ध करने में सक्षम रहा है जहॉ युक्तियुक्त रूप से अन्य सम्बन्धित तथ्यों को सही माना जा सकता है। जब तक कि अभियुक्त अपने किसी विशेष ज्ञान के कारण उक्त तथ्यों का खण्डन करने में सफल रहता है। जिस कारण वह न्यायालय का मत बदल सके।

42. साक्षी सं0 11 श्रीमती उषा शर्मा द्वारा दिया गया साक्ष्य विश्वसनीय पाया गया है व उनके द्वारा बताया गया है कि मृतक अपीलकर्ता को आखिरी बार एक साथ देखा गया था। अतः यह भार अभियुक्त अपीलकर्ता पर था कि वे स्पष्ट करे कि उस दिन क्या हुआ था, जिस दिन मृतक के साथ घर से निकले थे, परन्तु अभियुक्त द्वारा दिनांक 18.05.2009 को घर से निकलने के बाद क्या हुआ, के विषय में कोई कथन नही किये गये है। अपने कथन अन्तर्गत धारा 313 दं0प्र0सं0 में भी अपीलकर्ता द्वारा केवल अभियोजन के कथनो को अस्वीकार कर स्वयं को झूंठे मुकदमें में फसाये जाने का कथन किया है। धारा 106 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के प्रावधानुसार अपीलकर्ता पर यह भार है कि वे मृतक के साथ आखिरी बार देखे जाने के घटनाक्रम का पूर्ण विवरण प्रस्तुत करें। पत्रावली पर ऐसी कोई परिस्थिति सामने उभर कर नहीं आती जिस कारण साक्षीगण द्वारा किये गये कथन कि मृतक को आखिरी बार अपीलकर्ता के साथ देखा गया था और वह वापस नहीं आयी, को अस्वीकार किया जाये। अतः साक्षीगण के यह कथन सत्य व सही पाये जाते है। जिस कारण उपरोक्त कथनों को खण्डित करने का भार अपीलकर्ता पर है व अपीलकर्ता उपरोक्त का खण्डन करने में असफल रहा है व न ही अपीलकर्ता द्वारा उनको प्राप्त अवसर अन्तर्गत धारा 313 दं0प्र0सं0 में उपरोक्त तथ्यों का खण्डन किया है। फलस्वरूप अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य अखण्डनीय व विश्वसनीय पाया जाता है व घटनाक्रम को पूर्ण रूप से अभियुक्त से जोड़ता है।

43. अभियोजन पक्ष द्वारा शव की बरामदगी व हत्या करने के लिए प्रयोग हथियार को भी पुष्ट किया है।

44. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री पी0सी0 पेटशाली द्वारा यह भी कथन किये गये है कि पुलिस के सामने अभियुक्त द्वारा जुर्म स्वीकृति साक्ष्य में अमान्य है। यह सत्य है कि पुलिस अभिरक्षा में की गयी जुर्म स्वीकृति अमान्य है, परन्तु वे सभी कथन मान्य है जो कि अभियुक्त की निशानदेही पर कोई वस्तु की बरामदगी कराते है या अभियुक्त ऐसी कोई

सूचना देता है, जिससे अपराध का कोई मुख्य पहलू उजागर होता है, ऐसे कथन अभियुक्त के विरूद्ध साबित किये जा सकते है। निशानदेही पर बरामदगी धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत विवेचना का भार है व साक्ष्य में ग्राह्य है। जब कोई अभियुक्त पुलिस अभिरक्षा में पुलिस को कोई वस्तु ऐसे स्थान से बरामद कराता है जहॉ पर उसने वह वस्तु छिपा रखी है तब उसके द्वारा दी गयी सूचना अन्तर्गत धारा 27 साक्ष्य में ग्राह्य होती है। दिल्ली एडमिनिट्रेशन बनाम् बालकृष्ण व अन्य (1972) 4 एस0सी0सी0 659 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया है कि हालांकि धारा 25 व 26 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार पुलिस अभिरक्षा में व पुलिस के समक्ष की गयी कोई भी जुर्म स्वीकारोक्ति साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है, परन्तु धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम उपरोक्त धाराओं के परन्तुक के रूप में है। 45. पूर्व निर्णयों का विश्लेषण, आंतर में सिंह बनाम राजस्थान राज्य, (2004) 10 एससीसी 657, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न का सार प्रस्तुत किया साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 की आवश्यकताएँ इस प्रकार है: (1) वह तथ्य जिसका साक्ष्य देना चाहा गया है मुद्दे के लिए प्रासंगिक होना चाहिए। इसे अवश्य ही वहन किया जाना चाहिए ध्यान रखें कि प्रावधान का इससे कोई लेना-देना नहीं है प्रासंगिकता का प्रश्न. तथ्य की प्रासंगिकता के अनुसार खोजा जाना चाहिए अन्य साक्ष्यों की प्रासंगिकता से संबंधित नुस्खे बनाने के लिए इसे अपराध से जोड़ा जा रहा है तथ्य स्वीकार्य पाया गया। (2) तथ्य का पता चल गया होगा। (3) यह खोज परिणाम स्वरूप हुई होगी आरोपियों से मिली कुछ जानकारी और आरोपी के अपने कृत्य से नहीं. (4) सूचना देने वाले व्यक्ति अवश्य होंगे किसी अपराध का आरोपी. (5) वह किसी पुलिस अधिकारी की हिरासत में होना चाहिए। (6) परिणाम स्वरूप किसी तथ्य की खोज हिरासत में लिए गए एक आरोपी से मिली जानकारी को अपदस्थ किया जाना चाहिए. (7) वहां सूचना का केवल वही भाग है जो स्पष्ट रूप से या सख्ती से तथ्य से संबंधित है खोजे गए को सिद्ध किया जा सकता है। बाकी अग्राह्य है.

46ण मधु बनाम केरल राज्य मेंए ;2012द्ध 2 एससीसी 399ए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के पीछे तर्क यह है कि लेकिन विचाराधीन तथ्य अज्ञात ही रहे होंगे आरोपी द्वारा इसका खुलासा करने हेतु। इसलिएए तथ्यों की खोज ही सत्य को प्रमाणित करती है इकबालिया बयान का और चूँकि यह सच है कि ए न्यायालय को धारा 27 की खोज करने का प्रयास करना चाहिए साक्ष्य अधिनियम को अपवाद के रूप में शामिल किया गया है शासनादेश की धारा 25 और 26 में निहित है साक्ष्य अधिनियम

47. उपरोक्त मामले में रस्सी की बरामदगी अपीलकर्ता की अभिरक्षा से हुई थी यह तथ्य स्थापित है। उपरोक्त बरामदगी अभियुक्त की निशानदेही पर हुई थी व अभियोजन द्वारा उक्त बरामदगी के सम्बन्ध में किये गये कथनों में कोई ऐसा तथ्य उजागर नहीं हुआ है कि पुलिस द्वारा अपीलकर्ता को फसाने हेतु उपरोक्त बरामदगी झूंठी दर्शायी हो।

48. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा विवेचक द्वारा जब्त की गई गाडी इण्डिका यू0ए0–08बी–4414 की कोई तस्वीरे लेने का कोई प्रयास किया है, अतः विवेचना में घोर विसंगतियां है। अतः विवेचना में उपरोक्त घोर विसंगतियों के कारण अपीलकर्ता का दोषसिद्ध रद्द की जानी चाहिए।

49. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता के इन कथनों का निस्तारण करते समय यह तथ्य विचार में अवश्य रहना चाहिये कि हर विसंगतिपूर्ण विवेचना मामले में आरोपी का आवश्यक रूप से दोषमुक्ति नहीं करा सकती। अतः अपीलकर्ता को केवल दोषपूर्ण विवेचना का लाभ दिया जाकर दोषमुक्ति किया जाना उचित नहीं होगा।

50. करनैल सिंह बनाम में. मध्य प्रदेश राज्य, (1995)5 एससीसी 518, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसे सही ठहराया है दोषपूर्ण जांच के मामलों में न्यायालय को जाना होगा साक्ष्यों के मूल्यांकन में सावधानी बरतें लेकिन ऐसा नहीं होगा किसी आरोपी व्यक्ति को केवल इसी आधार पर बरी करना सही होगा दोष के कारण, ऐसा करना समान होगा यदि जांच अधिकारी के हाथों में खेल रहा है जांच जानबूझकर दोषपूर्ण है।

51. यह सुस्थापित है कि यदि विवेचना दोषपूर्ण भी हो, परन्तु तब भी प्रस्तुत प्रत्येक साक्ष्य को स्वतन्त्र रूप से विश्लेषण किया जाना चाहिए। उपरोक्त मामले में अभियोजन अपीलकर्ता की युक्तियुक्त रूप से सन्देह से परे दोषसिद्ध सिद्ध करने में सफल रहा है। अपीलकर्ता द्वारा ऐसा कोई कथन पत्रावली पर नहीं किया है, जिसमें उन्होंने यह बताया हो कि दोषपूर्ण विवेचना के कारण उनके अधिकारो पर विपरीत प्रभाव पडा हो। अतः उक्त मामले में यदि कोई विवेचनात्मक दोषपूर्णतः है तब भी वह अभियोजन मामले के विरोध में नहीं जाती।

52. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री पी0सी0 पेटशाली द्वारा यह भी कथन किये गये है कि अपीलकर्ता द्वारा मृतक की मृत्यु कारित करने का कोई उद्देश्य न होने के कारण अभियुक्त को सन्देह का लाभ दिया जाना चाहिये।

53ण भीमापा चंदप्पा होसामानी बनाम में कर्नाटक राज्यए ;2006द्ध 11 एससीसी 323ए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह अच्छी तरह से तय हो चुका है किसी अभियुक्त के अपराध को घर लाने का आदेशए यह नहीं है अभियोजन पक्ष के लिए मकसद साबित करना आवश्यक है। मकसद का अस्तित्व केवल परिस्थितियों में से एक है प्रस्तुत साक्ष्यों की सराहना करते समय इसे ध्यान में रखा जाना चाहिए अभियोजन पक्ष द्वाराण अगर गवाहों के सबूत सच्चा और आश्वस्त करने वाला प्रतीत होता हैए

साबित करने में असफल मकसद अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक नहीं है। इस पहलू पर कानून सुव्यवस्थित है।

54ण जीण पार्श्वनाथ बनाम राज्य में कर्नाटकए 2011 ;1द्ध सीसीएससी 157 ;एससीद्धए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में यह फैसला सुनाया है परिस्थितिजन्य साक्ष्य जहाँ परिस्थितियाँ सिद्ध हों साक्ष्यों की श्रृंखला पूरी करेंए ऐसा नहीं कहा जा सकता उद्देश्य का अभावए अन्य सिद्ध परिस्थितियाँ हैं कोई परिणाम नहींण हालाँकिए मकसद की अनुपस्थितिए न्यायालय को इसकी जाँच करने के लिए सतर्क कर देती है उस संदेह को सुनिश्चित करने के लिए परिस्थितियों को और अधिक ध्यान से देखें और अनुमान कानूनी प्रमाण का स्थान नहीं लेता। वहाँ है कानून का कोई पूर्ण कानूनी प्रस्ताव नहीं है कि अनुपस्थिति में किसी भी मकसद के तहत किसी आरोपी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता आईपीसी की धारा 302ण उद्देश्य के अभाव का प्रभाव होगा प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करता है।

55. सन्देह से परे सिद्धि एक दिशा–निर्देश है व इसका लाभ लेकर कोई मानक प्रकृति से हुई त्रुटियों के कारण कोई दोषी को अवमुक्त नहीं किया जा सकता। किसी तथ्य को तब सिद्व माना जाता है जब न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेज व अन्य कथनों के आंकलन से या न्यायालय या तो उस तथ्य के होने को मानता है या उस तथ्य के होने की सम्भावना इस प्रकार मानता है कि जैसे कोई युंक्तियुक्त व्यक्ति किसी विशेष परिस्थिति में उस तथ्य के होने की सम्भावना को पूर्ण रूप से मानता है।

56ण महेंद्र प्रताप सिंह बनाम मेंण के राज्य उत्तर प्रदेशए ;2009द्ध11 एससीसी 334ए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इंदर मामले में पहले के फैसले का हवाला दिया सिंह और अन्य बनामण राज्य ;दिल्लीद्ध प्रशासनद्धए ;1978द्ध4 एससीसी 161ए जिसमें यह है आयोजित किया गयाए ेगवाही की विश्वसनीयताए मौखिक और परिस्थितिजन्यए काफी हद तक न्यायिक पर निर्भर करता है संपूर्णता का मूल्यांकनए पृथक जांच नहीं। जबकि यह आवश्यक है कि उचित संदेह से परे प्रमाण होना चाहिए सभी आपराधिक मामलों में जोड़ा जाएए यह आवश्यक नहीं है यह उत्तम होना चाहिए।"

57ण राज्य में निरीक्षक द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया पुलिस बनामण सरवनन और अन्यए ;2008द्ध17 एससीसी 587ए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि यह रहा है इस न्यायालय द्वारा बार.बार सराहना करते हुए कहा गया एक गवाह के साक्ष्यए छोटी. छोटी बातों पर छोटी.मोटी विसंगतियाँ अभियोजन के मूल को प्रभावित किए बिना मामले मामले मेंए अदालत को सबूतों को खारिज करने के लिए प्रेरित नहीं करना चाहिए इसकी संपूर्णताण इसके अलावाए के सामान्य कार्यकाल पर गवाह द्वारा दिए गए

साक्ष्यए ट्रायल कोर्ट पर साक्ष्य की सराहना के बारे में एक राय बनती है सामान्य परिस्थितियों में उसकी विश्वसनीयता अपीलीय अदालत द्वारा इसकी एक बार समीक्षा करना उचित नहीं होगा फिर से बिना किसी उचित कारण के। यह की समग्रता है स्थितिए जिस पर ध्यान देना होगा। अंतर कुछ मामूली विवरणए जो अन्यथा प्रभावित नहीं करते अभियोजन मामले का मूलए भले ही मौजूद होए वही अदालत को सबूतों को खारिज करने के लिए प्रेरित नहीं करेगा मामूली बदलाव और विसंगतियाँ।

58. अतः यह न्यायालय का दायित्व है कि उसके समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य का ध्यानपूर्वक विश्लेषण करें व सत्य को असत्य से अलग करे पर ऐसा करते समय न्यायालय को अभियोजन के मामले व उसके द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य को उसी तरह पढा जाना चाहिए जैसा वह अपनी ओर से नये तथ्यों के होने की समभावना नहीं मानी जानी चाहिए।

59. कृष्णा मोची बनाम मेंण बिहार राज्यए ;2002द्ध6 एससीसी 81ए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला सुनाया न्यायालय को साक्ष्यों की सराहना करते हुए नहीं करना चाहिए जीवन की इन वास्तविकताओं को नज़रअंदाज करें और बर्दाश्त नहीं कर सकते आइवरी टावर में बैठकर अवास्तविक दृष्टिकोण अपनाएं। प्रत्येक और में कुछ न कुछ विसंगति अवश्य होती है प्रत्येक मामले को अदालत के समक्ष इतने लंबे समय तक लंबित नहीं रखा जाना चाहिए इसका अभियोजन मामले पर कोई वास्तविक प्रभाव नहीं पड़ता है। में मामले मेंए बताई गई विसंगतियां के दायरे में हैं कंकड़.पत्थरए अदालत को उस पर चलना चाहिएए लेकिन यदि वही बोल्डर हैंए कोर्ट को प्रयास नहीं करना चाहिए उसी पर कूदोण आजकल जब अपराध का बोलबाला है विशाल और मानवता पीड़ित है और समाज वैसा ही है इससे के कर्तव्यों और उत्तरदायित्वों पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा अदालतें बहुत अधिक हो गई हैं। अब कहावत है ष्चलो सौ दोषी व्यक्तियों को बरी कर दिया जाएए लेकिन एक को भी नहीं निर्दोष को दोषी ठहराया जानाश्श्ए व्यवहार मेंए दुनिया को बदल रहा है खत्म हो गया है और अदालतें इसे स्वीकार करने के लिए मजबूर हो गई हैं गलत धारणाओं से समाज को भी उतना ही नुकसान होता है ग़लत बरी होने से कष्ट होता है।

60. उपरोक्त मामले में अपीलकर्ता के विरूद्ध सिद्ध हुआ घटनाक्रम निम्न प्रकार हैः—

(i) घटना के समय अपीलकर्ता व उसकी मृतक पत्नी एक ही घर में निवास करते थे।

(ii) अपीलकर्ता मृतक को मारता व पीटता था, क्योंकि मृतक को शक था कि अपीलकर्ता का प्रेम प्रसंग किसी और महिला के साथ है।

(iii) अपीलकर्ता मृतक को उसके घर से नीलकण्ठ ले गया था।

(iv) अपीलकर्ता व मृतक आखिरी बार एक साथ देखे गये थे।

(v) अपीलकर्ता यह बताने में असमर्थ रहा है कि दिनांक 18.05.2009 को सुबह 9:00 बजे मृतक के साथ आखिरी बार देखे जाने के बाद क्या हुआ।

(vi) अपीलकर्ता से मृतक के बारे में पूछे जाने पर वह बार–बार अपने कथन बदलता था।

(vii) अपीलकर्ता द्वारा मृतक की झूठी गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज करायी गयी।

(viii) मृतक का शरीर अपीलकर्ता की निशानदेही पर बरामद हुआ।

(ix) मृतक की मृत्यु का कारण गला दबाने के कारण घुटन थी।

(x) अभियोजन साक्षी सं0 4 डॉ0 मनोज कुमार वर्मा द्वारा मृतक की शव विच्छेदन आख्या तैयार की गयी और यह भी बताया गया कि मृतक की मृत्यु दिनांक 18.05.2009 को 9:00 एम0एम0 से 3:00 पी0एम0 के बीच रस्सी से जोर से गला दबाने के कारण हुई है।

(xi) रस्सी अपीलकर्ता की निशानदेही पर बरामद हुई।

(xii) कथित रस्सी की बरामदगी अपीलकर्ता के कथनों पर ही की गयी।

61. उपरोक्त घटनाक्रम की परिस्थतियों अपीलकर्ता के विरूद्ध पूर्ण रूप से सिद्ध होना पायी जाती है व उपरोक्त अपराध हर स्थिति में अभियुक्त द्वारा ही किया जाना स्पष्ट होता है। अतः पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्य का पुनः परिशीलन व विश्लेषण कर हम विद्वान विचारणीय न्यायालय के मत से सहमत है। प्रश्नगत निर्णय में इस न्यायालय द्वारा कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं पाया जाता।

62. उपरोक्त वर्णित कारणों से अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील खारिज करने योग्य है और खारिज की जाती है।

राघवेन्द्र सिंह चौहान, मुख्य न्यायमूर्ति

आलोक कुमार वर्मा, न्यायमूर्ति

दिनांकित 23 नवम्बर, 2021